



करंट क्राइम

दिल्ली व गाजियाबाद से एक साथ प्रकाशित

सिर्फ सच...



● नई दिल्ली। रविवार 15 दिसंबर-2024

● वर्ष: 9 अंक: 356 पेज-08

● RNI NO. DELHIN/2015/65364

● मूल्य: ₹3



कांग्रेस संविधान का करती रही शिकायत: नरेंद्र मोदी

6 दशक में इसे 75 बार बदला

नई दिल्ली। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर शिकायत को प्रभान्मयी नहीं मोदी ने लोकसभा में संविधान पर बोले। प्रधानमंत्री ने कहा- अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती। दलाल भावाना से उत्तरकर संविधान पर चर्चा करते। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरीयां होती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन तथ्य खुलना जरूरी है। पैरेंप बोले- कंप्रेस के एक परिवार ने संविधान को चाप पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं कि 75 साल में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। देश को क्या-क्या हुआ है, वे जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुरीति के पंपरंग निरंतर चर रही है। इस स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उस फैसले को संविधान बदलकर पलटा गया। उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिये थे। कहा था कि संविधान के 75 साल के लिए 6 दशक में इसे 75 बार बदला जाए। और अब अदालत को अपनी वाचनी देख सकती है। ये जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, तबकि अदालत नहीं देख सकती है। ये पाप 1971 में ईदिरा गांधी ने किया था। पैरेंप बोले- भारत का नागरिक संविधान के अधिनंदन का भागी है।



मन आए कर सकती है और अदालत उसकी तरफ नहीं देख सकती है। ये सभी आदालतों में विद्वान देखते कि अहम मामलों पर चर्चा करते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था- इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां ये इतिहास की शुरुआत से ही है। बाबा साहब अबे डकर ने कहा था- कि यहां की महान परंपरा को हजारों ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है।

